न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—70/2014 (2014/00049) वाद पत्र

उनवान

1—सोहनी पुत्री केरिंग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कमला पुत्री केरिंग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—रामेश्वर पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—प्यारी बेवा मांगीलाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—ज्ञानी पुत्री अम्बालाल ना.बा.ब.वि जरिये माता केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास
4—जशोदा पुत्री अम्बालाल ना.बा.ब.वि जरिये माता केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास
5—लक्ष्मी पुत्री अम्बालाल ना.बा.ब.वि जरिये माता केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास
6—केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भंवरलाल पुत्र केरिंग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—पारस पुत्र सुवालाल कुमावत निवासी खेड़ीमाता तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9—जिना पुत्री सुवालाल पत्नि सुरेश कुमावत निवासी मटुणिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
10—सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—उपंपजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. पर्वत सिंह — वादीगण अधिवक्ता
2. महेन्द्र सिंह — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सुरास पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में वादीगण के पिता केरिंग पिता माना कुमावत के नाम पर संवत 2047 से 2050 की जमाबन्दी में उनके खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 120/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 120/2 रकबा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 124 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 125 रकबा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 175/2 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 179 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 264 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 273 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 357 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 371 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसके नवीन नम्बर क[illegible] 169 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 170 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 173 [illegible] है0, आराजी संख्या 174 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 244 रकबा 0.1[illegible] 253 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 379 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 380 रकबा 0.1[illegible] आराजी संख्या 38[illegible] 0.09 है0, आराजी संख्या 396 रकबा 0.22 है0, [illegible] रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 514 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 529 रकबा 0.23 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.28 है0 बने। केरिंग जी का निधन हो गया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय केरिंग जी के प्रथम श्रेणी के वारिस है एवं वादीगण का अपने पिता स्वर्गीय केरिंग जी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मोरूसी आराजीयात में समान हक अधिकार जन्म से ही निहित था किन्तु राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों की भूल व गलती से श्री केरिंग जी के देहान्त के पश्चात् उनके हक की समस्त भूमि मांगीलाल, अम्बालाल व भंवरलाल के नाम पर दर्ज कर दी जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 व 09 भी हिन्दु उत्तराधिकार के अधिनियम के प्रावधान में श्री केरिंग जी के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से उनका नाम भी मांगीलाल, अम्बालाल व भंवरलाल के साथ संयुक्त रूप से दर्ज होना चाहिए। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है. उक्त वादग्रस्त आराजीयात केरिंग जी की विरासत से मांगीलाल, अम्बालाल व भंवरलाल के नाम पर दर्ज हो जाने व उसके पश्चात् मांगीलाल व अम्बालाल की मृत्यु हो जाने से उनके बजाय प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम पर दर्ज हो जाने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है जिससे इस आशय की घोषणात्मक की डिक्री पारित कराया जाना आवश्यक है कि वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजीयात का 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व प्रतिवादी संख्या 08 व 09 को भी वादग्रस्त आराजीयात के 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जायें इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावें एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का संयुक्त रूप से 1/6 व प्रतिवादी संख्या 03 से 06 का संयुक्त रूप से 1/6 व प्रतिवादी संख्या 07 का 1/6 हक हिस्सा दर्ज कराया जावें सह खातेदार श्यामलाल लाऔलाद फौत हो गया जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 03 से 06 है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम पर दर्ज होने से वे इसका नाजायज लाभ उठाकर उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उक्त वादग्रस्त आराजियात को किसी भी माध्यम से खुर्द बुर्द अन्तरित नही करें एवं वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर ग्राम सुरास में स्थित आराजी संख्या 169, 170, 173, 174, 244, 253, 379, 380, 381, 396, 510, 513, 514, 529 कुल किता 14 कुल रकबा 2.28 है0 का 1/3 हक हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा दर्ज किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि उक्त वर्णित आराजियात को किसी भी माध्यम से खुर्द बुर्द अन्तरित नही करे तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल नही करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे [illegible] 12 को पांबद कराया जावे कि अगर प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 7 उक्त आराजियात [illegible] का कोई दस्तावेज उनके समक्ष प्रस्तुत करें तो वे इसका पंजीयन नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के [illegible] किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की [illegible] न प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 फौरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की ओर से जवाब में वाद को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि वादीगण काफी वर्षो पूर्व शादी होकर अपने ससुराल में आबाद है एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की माता सुखी काफी समय पूर्व शान्त हो चुकी है जिनका केरिगं की आराजियात में कोई हक, हिस्सा व कब्जा नही है, केरिंग की आराजियात में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है। केरिंग का देहान्त के बाद उनकी भूमि मांगीलाल, अम्बालाल व भंवरलाल के नाम दर्ज हुई जो उचित है। मांगीलाल व अम्बालाल का देहान्त होने से जिनका नामान्तकरण उनके वारीसो के नाम खुल चुका है जिस बाबत् वादीगण ने कोई अंकन नही किया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की माता व सोहनी, कमला की शादियो के पश्चात् कभी कब्जा काश्त नही रहा है। मांगीलाल, अम्बालाल, भंवरलाल का बराबर 1/3–1/3 हिस्सा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व श्यामलाल के वारीसान का दर्ज हिस्सा उनके कब्जे काश्त में निरन्तर चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का कभी कब्जा ही नही रहा है तो उन्हे बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नही उठता है जिससे किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वादीगण या अन्य किसी ने केरिंग, मांगीलाल, अम्बालाल के नामान्तकरण को आज दिन तक किसी न्यायालय में निरस्त कराने की कार्यवाही नही कराई है। काफी विलम्ब के बाद जमीनो की कीमत ज्यादा होने से वादीगण की नियत में फितुर आ जाने से गलत वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्ती योग्य है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 7 भंवरलाल के पूर्ण बहकावे में है केसर की नाबालिक पुत्री जशोदा, लक्ष्मी व मेरे हक को हड़पने की नियत से हमे ज्ञात न हो उक्त प्रकरण बाबत् ऐसा कृत्य किया है। अतः सादर प्रार्थना है कि वादीगण का वाद खारीज फरमावे।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी है जिससे वादीगण संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की वादग्रस्त भूमियों की खातेदार काश्तकार है व इसकी घोषणा करवाने की अधिकारीणी है।

जिम्मे वादीगण

2. आया कि वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

जिम्मे वादीगण

3. आया कि वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमियो पर नही है इसलिये वादपत्र चलने योग्य नही है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6

4. अनुतोष ?

वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के समर्थन में वादीगण के बयान कराये गये। वादपत्र के समर्थन में रेकार्ड प्रस्तुत किया जो जमाबन्दी 2047 से 2050 प्रदर्श 1 है, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 है, जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 जो प्रदर्श 3 है प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है एवं बहस में वादवर्णित [illegible] वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी 4, 5, 6 के अधिवक्ता द्वारा [illegible] प्रतिवाद के समर्थन में केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास के [illegible] एवं बयान में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को खारीज करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:03 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्ताओ बहस के अनुसार तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया कि वादग्रस्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी है जिससे वादीगण संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की वादग्रस्त भूमियों की खातेदार काश्तकार है व इसकी घोषणा करवाने की अधिकारीणी है।

जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से अपने बयानो मे कथन किया कि वादवर्णित भूमि मूल पुरूष केंरिगजी की खातेदारी भूमि थी और केंरिगजी के फोत होने पर उनके विधिक वारीसान के रूप मे तीन पुत्र मांगीलाल, अम्बालाल, भंवरलाल एवं 3 पुत्रीयां सोहनी, सुखी और कमला है। मृतक मांगीलाल के विधिक वारीस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। मृतक अम्बालाल के विधिक वारीस प्रतिवादी संख्या 3 से 6 है एवं भवंरलाल जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 7 है। सोहनी और कमला जो वादीगण 1 व 2 है एवं सुखी फोत होने से उनके विधिक वारीस प्रतिवादी संख्या 8 व 9 है। इसके साथ में वादीगण द्वारा संवत 2047 से 2050 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई जो प्रदर्श 1 है उक्त जमाबन्दी के खाता संख्या 20 में वादवर्णित भूमि के साबिक खसरा नम्बर केंरिग पिता माना कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड थी। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसार साबिक आराजियात के नवीन खसरा नम्बर दर्ज हुए जो रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है एवं नवीन रेकार्ड की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 188 की प्रमाणित प्रति पेश की गई जो प्रदर्श 3 है। उक्त रेकार्ड एवं बयानो के आधार पर वादवर्णित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। वादीगण मूल खातेदार केंरिग जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारीस है किन्तु मूल खातेदार केंरिग पिता माना कुमावत के फोत होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 515 जो दिनांक 25.05.1993 को मृतक के तीनो पुत्रो मांगीलाल, अम्बालाल व भंवरलाल के नाम ही स्वीकृत हुआ। मृतक खातेदार की पुत्रीयो के नाम विरासत के नामान्तकरण के नाम दर्ज नही हुए है। वादीगण द्वारा अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित कराया जाकर इस तनकी को साबित कराने में सफल रही है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया कि वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकी नम्बर 1 को पूर्ण रूप से साबित कराया गया है जिससे तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो चुका है। तनकी नम्बर 1 के निर्णय अनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने से इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

3. आया कि वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमियो पर नही है इसलिये वादपत्र चलने योग्य नही है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 पर था। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 की ओर से केसर पत्नि अम्बालाल [illegible] के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को दिये गये अपने बयानो में स्पष्ट रूप से [illegible] खातेदार केंरिगजी के 3 लड़के भंवरलाल, अम्बालाल, मागीलाल और 3 [illegible] जिनके नाम कमला, सुखी और सोहनी है। केंरिगजी की मृत्यु हुई तब उनकी जमीन में मांगीलाल, अम्बालाल, भवरलाल के नाम ही भूमि दर्ज हुई मेरी तीनो ननदो का नाम खाते में नही जुड़ा। यह बात सही है कि कानून में ननदो (पुत्रीयो) का भी हक है। ननदो का हक वो लेगी मुझे कोई ऐतराज नही है। मेरे घरवालो के जितना हक बनता है उसमें मेरी पुत्रीयो का भी हक होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:03 IST
Reason: SelfAttested

इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे साबित होता हो कि वादीगण का हिस्सा वादग्रस्त भूमियो पर नही जिससे वाद चलने योग्य नही है जबकि इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 की ओर से स्वयं अपने बयानो में वाद को स्वीकार करते हुए वादीगण उनकी पैतृक भूमि में हक ले तो प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 की ओर से कोई ऐतराज नही है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 किया जाता है।

4. अनुतोष ?

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं हाल रेकार्ड का मिलान करने से पाया कि वादीगण द्वारा जो वाद में तथ्य अकिंत किये गये है जो सही है एवं इस प्रकरण में वाद और प्रतिवाद के आधार पर जो तनकियात कायम की गई जिसका निर्णय तनकीवार करने पर तीनो तनकियो का निर्णय वादीगण के पक्ष के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना विधि अनुसार सही है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास के बैरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 169 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 170 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 173 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 174 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 244 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 253 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 379 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 380 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 381 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 396 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 510 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 514 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 529 रकबा 0.23 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.28 है0 भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के जारी की जाती है कि वादवर्णित आराजियात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:03 IST
Reason: SelfAttested

27/04/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–70 / 2014 (2014 / 00049) वाद पत्र

उनवान

1–सोहनी पुत्री केरिंग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कमला पुत्री केरिंग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–रामेश्वर पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्यारी बेवा मांगीलाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–ज्ञानी पुत्री अम्बालाल ना.बा.ब.वि जरिये माता केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास
4–जशोदा पुत्री अम्बालाल ना.बा.ब.वि जरिये माता केसर पत्नि अम्बालाल कुमावंत निवासी सुरास
5–लक्ष्मी पुत्री अम्बालाल ना.बा.ब.वि जरिये माता केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास
6–केसर पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–भंवरलाल पुत्र केरिंग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–पारस पुत्र सुवालाल कुमावत निवासी खेड़ीमाता तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9–जिनापुत्री सुवालाल पत्नि सुरेश कुमावत निवासी मट्ुणिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
10–सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास के बैरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 169 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 170 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 173 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 174 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 244 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 253 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 379 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 380 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 381 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 396 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 510 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 514 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 529 रकबा 0.23 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.28 है0 भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस आशय कि [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जाती है कि वादवर्णित आराजियात में वादीगण के [illegible] में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक [illegible] से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:03 IST
Reason: SelfAttested

27/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा